

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक कुल दो वर्षों के लिए टिशू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना का कार्यान्वयन अनुदेश।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत टिशू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 कुल दो वर्षों के लिए 3199.00 लाख (इकतीस करोड़ निन्यानवे लाख) रुपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1919.40 लाख (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख चालीस हजार) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति, स्वीकृत्यादेश सं०-NHM/BHDS/65/2025-पी.पी.एम.-36 दिनांक 19.05.2025 द्वारा प्राप्त है। इस योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची 1, 2.1, 2.2 एवं 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में किया जायेगा।

टिशू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (टिशू कल्चर) की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर उनकी आमदनी में वृद्धि करना है।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कराया जाएगा।

टिशू कल्चर केला के क्षेत्र विस्तार की योजनान्तर्गत टिशू कल्चर केला के लिए दो वर्षों हेतु अनुदान स्वीकृत है, जो कि निम्नवत है:-

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 में टिशू कल्चर केला का क्षेत्र विस्तार:- इस योजना अंतर्गत टिशू कल्चर केला (गैर समेकित) की क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 1.75 लाख (एक लाख पचहत्तर हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत स्वीकृत है। टिशू कल्चर केला की खेती हेतु 1.8X1.8 मीटर पौधों से पौधों की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 3086 पौधा निर्धारित है।

सहायतानुदान- उपरोक्त इकाई लागत का 40% अर्थात् 70,000.00 (सत्तर हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर दो किस्तों में दिया जाना है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान की राशि का 60% अर्थात् 42,000.00 (बयालीस हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर का भुगतान चयनित किसानों को उनके द्वारा कार्य निष्पादन उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 4570 हे० के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य 1919.40 लाख (उन्नीस करोड़ उन्नीस लाख चालीस हजार) रुपये स्वीकृत है।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2025-26 में लगाए गए टिशू कल्चर केला का **1st Year Maintenance** का सहायतानुदान- वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय क्रिस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 40% अर्थात् 28,000.00 (अट्ठाईस हजार) रुपये प्रति हेक्टेयर का भुगतान 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 4570 हे० के विरुद्ध वित्तीय लक्ष्य 1279.60 लाख (बारह करोड़ उनासी लाख साठ हजार) रुपये स्वीकृत है।

लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया :-

1. लाभुक का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (<http://dbtagriculture.bihar.gov.in>) पर पंजीकृत होना आवश्यक है। उद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. स्वीकृत योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।
4. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा की लाभुक में प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
5. इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नामित कर्मी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर सत्यापन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित कर्मी जवाबदेह होंगे।

6. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।
7. टिशू कल्चर केला के पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी / Competitive Bidding से चयनित एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। एजेंसियों का चयन निदेशक उद्यान-सह-मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन के द्वारा किया जाएगा। कार्यादेश में कार्य पूरा करने का समय 15 जून से 30 सितम्बर, 2025 होगा एवं अनुदान भुगतान की समय सीमा 01 जुलाई से 07 अक्टूबर, 2025 होगी।
8. इस योजनान्तर्गत कुल 182800 मानव दिवस सृजन होने की संभावना है।

आवेदन की प्रक्रिया:-

इस योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाइट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/गैर रैयत हेतु एकरारनामा में से कोई एक दस्तावेज उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया:-

भुगतान के पूर्व यथा आवश्यक जाँच/लाभुक एवं सत्यापनकर्ता का Geo Tagged Photograph/सत्यापन कार्य कराते हुए निश्चित समय पर लाभुक को देय अनुदान (DBT in Cash/DBT in kind) का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा, बशर्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

कार्य दायित्व:-

1. प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी-

- इनके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराया जायेगा।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के आलोक में सत्यापन के क्रम में खाली खेत का जियो टैग फोटोग्राफ अपलोड किया जाएगा एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा की खेत खाली है।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी, उद्यान निदेशालय, बिहार पटना से चयनित एजेन्सियों के द्वारा आपूर्ति किए गए टिशू कल्चर केला के पौधों का शत प्रतिशत सत्यापन करेंगे तथा सत्यापन प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेंगे।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा चयनित किसानों के द्वारा कार्य निष्पादन उपरान्त कृषकों के द्वारा लगाए गए टिशू कल्चर केला के नए बाग का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेंगे।

2. सहायक निदेशक उद्यान-

- जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।
- योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन किया जाएगा।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी को संबंधित प्रखंड हेतु स-समय लक्ष्य उपलब्ध कराना तथा उस लक्ष्य के विरुद्ध लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करना।

- टिशू कल्चर केला के वितरण से पूर्व पौधों के आकार एवं गुणवत्ता की जाँच करना। मानक स्तर के पौधों की आपूर्ति लेना।
- केला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत पौध वितरण का कार्य 30 सितंबर 2025 तक समाप्त करना।
- कार्य निष्पादित अवयवों का बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।
- योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/निदेशक उद्यान को अवगत कराना। साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।
- PFMS से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार End to end Entry निर्धारित समय सीमा के तहत सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।
- दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
- आवश्यकता अनुसार कृषि मैपर का प्रयोग करवाना।
- केला बागान की Geo Mapping करायी जायेगी।

3. प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :-

- प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से उद्यान निदेशालय, बिहार पटना को अवगत कराना।
- योजना के तहत विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा-निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।
- PFMS से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में Entry की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय-समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।
- प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेंगे।

4. नोडल पदाधिकारी:-

- एक जिला के लिए एक ही एजेंसी को कार्यादेश देने का प्रयास किया जाय ताकि Duplication न हो।
- योजना का समय-समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।

- योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
 - योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति का समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर निदेशक उद्यान-सह-मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन को उपलब्ध कराना।
 - यदि कोई एजेंसी कार्यादेश के अनुरूप पौधों की आपूर्ति समय पर नहीं करती है तो उनके विरुद्ध Penalty लगाना। एजेंसी को कार्यादेश उनके घोषित क्षमता एवं हार्डनिंग सेन्टर के रकवा के अनुसार निर्गत करना तथा समय-समय पर हार्डनिंग सेन्टर की जाँच करवाना।
 - राज्य स्तर से विशेष टीम भेज कर Banana Plantation की जाँच कराना।
5. निदेशक उद्यान :- मुख्यालय स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

१

२

३

३०/६/१५

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।